रजिस्टर्ड नं0 पी0/एस0 एम0 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 7 सितम्बर, 1985/16 भाद्रपद, 1907

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपायुक्त, कांगड़ा, स्थित धर्मशाला

अधिसूचनाएं

धर्मशाला, 23 जुलाई, 1985

संख्या पी0सी0एच0-के0जी0आर-5/36-3764.—क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार पंचायती राज विभाग द्वारा जारी अधिसूचना सं0 पी0सी0एच-एच0ए(4)-16/76-(XI) दिनांक 18-6-85 तथा अधिसूचना सं0 पी0सी0-एच0एच0 (ए)-16/76-12 दिनांक 1-7-85 द्वारा इस जिला के विकास खण्ड नुरपूर की ग्राम सभा छतरोली, पंजाहड़ा तथा वासा वजीरा, विकास खण्ड बैजनाथ की ग्राम सभा गदयाड़ा, लवं, माहलपटू, धानग, बड़ाग्रां, कोठी-कोहड़, संसाई, मझोटी, सकड़ी, बही, विकास खण्ड रैत की ग्राम सभा हरनैरा व शाहपूर, विकास खण्ड पंचरूखी की ग्राम सभा आईमा, बन्दला, विकास खण्ड कांगड़ा की ग्राम सभा रानीताल, और विकास खण्ड नगरोटा सूरियां की ग्राम सभा धमेटा और समकड़ का पुनर्गठन/विभाजन/सममिश्रण किया गया है, अतः मैं, एच0 एल0 नाशाद, अतिरिक्त उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, एतद्द्वारा उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझे हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना सख्या 36-15/74-पंच, दिनांक 1-8-75 द्वारा प्रदत्त हैं, के अन्तर्गत इस कार्यालय द्वारा जारी

अधिसूचना संख्या पी0सी0एच-के0जी0आर0-5/1126, दिनांक 10-4-85 तथा पी0 सी0 एच0-के0 जी0 आर0-5/36-1827 दिनांक 13-5-85, पर विकास खण्ड नूरपुर के क्रम स0 32, 39 व 31 विकास खण्ड बैजनाथ के क्रम सं0 क्रमश: 45 44, 4, 2 (अधिसूचना सं0 दिनांक 13-5-85), 27, 24, 19, 2, 46, 42, विकास खण्ड रैत की क्रम सं0 क्रमश: 6, 4 (अधिसूचना दिनांक 13-5-85), विकास खण्ड पंचरुखी के क्रम सं0 7 व 6, विकास खण्ड कांगडा के क्रम सं0 6 और विकास खण्ड नगरोटा सूरियां के क्रम सं0 क्रमश: 1 व 2 (अधिसूचना दिनांक 13-5-85), के अधीन निर्धारित सदस्यों की संख्या रद्द करता हूं तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 196 के की धारा 9(1) जिसे हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियम 1971 के नियम 19 के साथ पढ़ा जाता है, पुनर्गठित/नवगठित ग्राम पंचायतों के सदस्यों की संख्या (प्रदान व उप-प्रदान सहित) निम्न प्रपत्र की कोष्ठ संख्या 6 के अनुसार निर्धारित करता हूं :—

क्रम सं0	तहसील का नाम	विकास खण्ड का नाम	ग्राम सभा का नाम	जनसंख्या	सदस्यों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	नूरपुर	नूरपुर	1. छतरोली	2091	9
			2. नागाबाड़ी	1979	7
			3. पंजाहड़ा	2086	9
			4. आधार	1566	7
			5. वासावजीरा	1634	7
			6. जाच्छ	1481	7
2.	पालमपुर	बैजनाथ	1. गदयाड़ा	1367	7
			2. माहलपट्ट	1613	7
			3. धामग	1669	7
			4. [illegible]	1093	7
			5. कोठीकोहड़	886	7
			6. संसाई	773	7
			7. मझौटी	704	7
			8. सकड़ी	1535	7
			9 वही	2171	9
3.	कांगड़ा	रैत	1. हरनेरा	1458	7
			2. शाहपुर	4149	11
4.	पालमपुर	पंचरूखी	1. आईमा	3055	9
			2. बन्दला	1796	7
5.	कांगड़ा	कांगड़ा	1. रानीताल	1271	7
			2. भगवार	1040	7
6.	देहरा	नगरोटा सूरियां	1. धमेटा	2456	9

धर्मशाला, 24 अगस्त, 1985

संख्या पी0सी0एच-के0जी0आर0 5/36-3884.—क्योंकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या पी0सी0एच0-एच0ए (4)-16/76-82 दिनांक 6-8-85 व पी0सी0एच-एच0ए0 (4)-176-12 दिनांक 6-8-85, द्वारा इस जिला के विकास खण्ड रैत की ग्राम सभा सल्ली, दरीणी रिड़कमार व विकास खण्ड प्रागपुर की ग्राम सभा सुनेहत, व चुदरेट का पुनर्गठन । विभाजन । संमिश्रण किया गया गया है, इसलिए मैं, एच0 एल0 नाशाद, अतिरिक्त उपायुक्त जिला कांगड़ा एतद्द्वारा उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझे हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना सं0 36-15/74-पंच दिनांक 1-8-75 प्राप्त हैं, इस कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना सं0 पीसीएच-के-जीआर-5/36-1126 दिनांक 10-4-85 व पीसीएच-केजीआर-5/1827 दिनांक 13-5-85 का आंशिक रूप से संशोधन करके विकास खण्ड रैत की क्रम संख्या 6, 7, 9 तथा विकास खण्ड प्रागपुर की क्रम सं0 1 व 2, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 9 (1) जिसे हि0प्र0 ग्राम पंचायत नियम 1971 के नियम 19 के साथ पढ़ा जाता है, पुनर्गठित विभाजित ग्राम पंचायतों के सदस्यों की संख्या प्रधान व उप-प्रधान सहित जिनका विवरण नीचे दिया गया है, कोष्ठ संख्या 6 के अनुसार पुन: निर्धारित करता हूं :—

क्रम सं0	तहसील का नाम	विकास खण्ड	ग्राम सभा का नाम	जन संख्या	सदस्यों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1	कांगड़ा	रैत	1 सल्ली	1488	7
			2 कनोल	1160	7
			3 दरीणी	1609	7
			4 रिड़कमार	1492	7
2	देहरा	प्रागपुर	1 सुनेहत	1186	7
			2 चुदरेट	1143	7

एच0 एल0 नाशाद,
अतिरिक्त उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला ।

कार्यालय उपायुक्त, मण्डी मण्डल मण्डी, हिमाचल प्रदेश

अधिसूचना

मण्डी, 22 अगस्त, 1985

संख्या पीसीएन-एमएनडी-ए (1) 40/83-4416-22.—हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या पीसीएच-एचए (4)-38/76-7 दिनांक 1-8-85 के प्रकाशन के फलस्वरूप इस कार्यालय द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या पीसीएन-एमएनडी-ए (1) 40/83 दिनांक 4-4-85 में आंशिक संशोधन करना आवश्यक हो गया है ।

अतः मैं, पी0 सी0 कपूर, अतिरिक्त उपायुक्त, मण्डी मण्डल मण्डी, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या-36-15/74-पंच दिनांक 1-8-75 द्वारा प्राप्त अधिकारों के अन्तर्गत हि0प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1968 (वर्ष 1970 का 19वां अधिनियम) की धारा 9 (1) और हि0 प्र0 ग्राम पंचायत नियम, 1971 के नियम 19 के अधीन निम्न सारणी में निर्दिष्ट विकास खण्ड, बल्योट की ग्राम पंचायत, नाण्डी के पंचों के स्थान,

प्रधान तथा उप-प्रधान सहित पुन: निर्धारित करता हूं।

सारणी

क्रम संख्या	नाम विकास खण्ड	नाम ग्राम सभा	जन संख्या	पंचों की निर्धारित संख्या (प्रधान तथा उप-प्रधानों सहित)
1	2	3	4	5
1	चच्योट	नाण्डी	3,021	9

सी0 पी0 कपूर,
अतिरिक्त उपायुक्त,
मण्डी, मण्डल मण्डी (हि0 प्र0)।

कार्यालय उपायुक्त, जिला किन्नौर, कल्पा

अधिसूचना

कल्पा, 28 अगस्त, 1985

क्रमांक कनर-599/84-3264-77.—हिमाचल प्रदेश सरकार के पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या 36-15/74 पंच दिनांक 1-8-1975 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, विवेक श्रीवास्तवा जिलाधीश, जिला किन्नौर, कल्पा, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 9(1) तथा हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियम, 1971 के नियम 19 के अन्तर्गत जिला किन्नौर की निम्न पुर्नगठित ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या निम्न सारणी में प्रत्येक ग्राम सभा (पंचायत) के सम्मुख खाना नम्बर-4 में वर्णित संख्या के अनुसार निर्धारित करता हूं जिस में प्रधान व उप-प्रधान भी सम्मिलित हैं।

क्रम संख्या	ग्राम सभा (पंचायत) का नाम	जन संख्या	निश्चित स्थान (प्रधान/उप-प्रधान को मिला कर
1	2	3	4
1.	कामरू	1977	7
2.	शौंग	553	7
3.	पवारी	638	7
4.	पूर्बनी	474	7
5.	रोघी	549	7
6.	कल्पा	1735	7
7.	बारंग	1017	7
8.	मेबर	311	7
9.	कोठी	1161	7
10.	डूनी	908	7
11.	पांगी	911	7
12.	नयासबर	320	7
13.	कानम	1779	7
14.	स्पीलो	537	7

विवेक श्रीवास्तव,
जिलाधीश, जिला किन्नौर,
कल्पा, हि0 प्र0।

स्थानीय स्वशासन विभाग

अधिसूचना

शिमला, 20 जुलाई, 1985

संख्या एल0एस0जी0 7-4/71-8.—इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 1-4-1985 के प्रसंग को जारी रखते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1968 (1968 का अधिनियम संख्या 19) की धारा 257 की उप-धारा (1) के खण्ड (डी) और (ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, सहायक टाऊन प्लानर, कुल्लू को अधिसूचित क्षेत्र समिति, भुन्तर, जिला कुल्लू के लिये सरकारी सदस्य के रूप में शेष अवधि के लिए, तुरन्त नियुक्त करते हैं।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
सचिव।

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-171002, 22 जुलाई, 1985

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0 (5) 37/79.—क्योंकि श्री लक्ष्मण दास, प्रधान, ग्राम पंचायत, दियाड़ा, जिला ऊना के विरुद्ध इस विभाग के समसंख्यक कार्यालय आदेश दिनांक 18 जनवरी, 1983 द्वारा लगाये गये आरोपों पर उपसम्भागीय दण्डाधिकारी, अम्ब को जांच करने को आदेश हुए थे।

और क्योंकि जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद यह निष्कर्ष निकला है कि श्री लक्ष्मण दास, प्रधान, ग्राम पंचायत, दियाड़ा को भविष्य में सावधानी बरतने के आदेश देकर इस मामले को बन्द किया जाये।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(2) के अर्न्तगत श्री लक्ष्मण दास के विरुद्ध चले मामले को समाप्त करने का तथा उसको भविष्य म सावधान रहने का सहर्ष आदेश देते हैं।

शिमला-171002, 22 जुलाई, 1985

संख्या पी0सी0एच0एच0ए(5) 55/81.—क्योंकि श्री जवाहर लाल, प्रधान, ग्राम पंचायत, पोशाना, विकास खण्ड, निरमण्ड, जिला कुल्लू ने श्री भेगा रात राम, ग्राम पंचायत, पोशाना तथा श्री चान्दी राम, पंचायत सचिव से मिल जुल कर श्री कुन्न राम के नाम दो प्रमाण पत्र दिनांक 18-10-80 तथा 18-8-83 (जो स्वतः विरोधी हैं) जारी करके प्रधान पद के अधिकारी/अधिकारों का दुरूपयोग किया है।

और क्योंकि उक्त श्री जवाहर लाल, प्रधान को उपरोक्त आरोपों के दृष्टिगत दिनांक 11 जून, 1984 को उनके प्रधान पद से निलम्बनार्थ कारण बताओ नोटिस दिया था और इस सम्बन्ध में प्राप्त उत्तर असन्तोषजनक पाया गया है।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, श्री जवाहर लाल, प्रधान को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(1) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत, पोशाना के प्रधान पद से निलम्बन का सहर्ष आदेश देते हैं

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, उक्त प्रधान के विरुद्ध वास्तविकता जानने के लिए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(2) सी० के अन्तर्गत नियमित जांच हेतु जिला पंचायत अधिकारी, कुल्लू को जांच अधिकारी नियुक्त करने का भी सहर्ष आदेश देते हैं। जांच रिपोर्ट जिलाधीश, कुल्लू के माध्यम से उनकी टिप्पणियों सहित इस कार्यालय को शीघ्र प्रेषित की जाये।

शिमला-171002, 23 जुलाई, 1985

संख्या पी०सी० एच०-एच०ए(5) 55/81.—क्योंकि श्री भोगा राम, पंच, ग्राम पंचायत, पोशाना, विकास खण्ड, निरमण्ड ने ग्राम पंचायत को गुमराह करके 18-10-80 को ग्राम पंचायत से प्रस्ताव संख्या 10 इस गरज से पारित करवाया कि श्री कुम्भ दास सपुत्र श्री जीव राम को नौतोड़ मिल सके जिसके लिए वह पात्र व्यक्ति नहीं।

और क्योंकि ऐसा करके उक्त श्री भोगा राम ने पंच पद का दुरुपयोग किया है।

और क्योंकि उक्त श्री भोगा राम, पंच को उपरोक्त आरोपों के दृष्टिगत दिनांक 11 जून, 1984 को उनके पंच पद से निलम्बनार्थ कारण बताओ नोटिस दिया था और इस सम्बन्ध में प्राप्त उत्तर को असन्तोषजनक पाया गया है।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश श्री भोगा राम, पंच को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(1) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत, पोशाना के पंच पद से निलम्बन का सहर्ष आदेश देते हैं।

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त पंच के विरुद्ध वास्तविकता जानने के लिए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(2) सी० के अन्तर्गत नियमित जांच हेतु जिला पंचायत अधिकारी, कुल्लू को जांच अधिकारी नियुक्त करने का भी सहर्ष आदेश देते हैं। जांच रिपोर्ट जिलाधीश, कुल्लू के माध्यम से उनकी टिप्पणियों सहित इस कार्यालय को शीघ्र प्रेषित कर दी जाये।

हस्ताक्षरित/-
अवर सचिव (पंचायत)।

शिमला-2, 29 अगस्त, 1985

संख्या पी० सी० एच०-एच०ए०(4)-7/77.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अधीन जो उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 (वर्ष 1970 का 19वां अधिनियम) की धारा 4 व 5 के अन्तर्गत प्राप्त है जिला किन्नौर के विकास खण्ड, कल्पा के ग्राम सभा क्षेत्र कायरू को विभाजन कर दो नई ग्राम सभा बनाई गई थी जो कि इस विभाग की अधिसूचना संख्या पी० सी० एच०-एच०ए (4)-7/77, दिनांक 3 अगस्त, 1985 के अन्तर्गत अधिसूचित हुआ है को रद्द करने का सहर्ष आदेश देते हैं।

आदेश द्वारा
हस्ताक्षरित/-
सचिव।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।